संदेश

उत्तर प्रदेश शासन में एक नयी कार्य संस्कृति लागू किये जाने एवं प्रदेश को पारदर्शी, स्वच्छ एवं प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराये जाने, सतत अनुश्रवण के लिये सुदृढ़ व्यवस्था एवं लाभार्थियो से संवाद, जन सहयोग और जन सहभागिता की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जन साधारण से सम्बन्धित विभागों, कार्यालयों के नागरिक अधिकार पत्र (सिटिजन चार्टर) बनाये जाने का निर्णय सूचना का अधिकार २००५ के परिप्रेक्ष्य में लिया गया।

धर्मार्थ कार्य विभाग का प्रस्तुत नागरिक अधिकार पत्र विभागीय कार्यक्रमों को नयी गति प्रदान करने, प्रभावी एवं पारदर्शी प्रशासन एवं जन शिकायतों के निस्तारण में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेगा।

प्रदेश में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल हैं जहॉ वर्ष में अपार जन समूह पूर्ण श्रद्धा के साथ आता है और पुण्य लाभ प्राप्त करता है। किन्तु वहॉ पर समुचित मार्ग व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, धर्मशाला/विश्राम गृह, शौचालय, पेयजल व्यवस्था के अभाव में कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ता है।

यह अनुभव किया गया कि प्रदेश में बहुत सी महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थाएं हैं जिनमें प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु परम्परागत आस्था एवं विश्वास के कारण आते हैं, परन्तु उनमें आधारभूत जनसुविधाओं का अभाव रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन धार्मिक संस्थाओं में अधिकांश निजी प्रबन्धन द्वारा संचालित है एवं बहुत ही कम स्थानों पर इन संस्थाओं के प्रबन्धकों द्वारा आधारभूत जन सुविधाओं हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर ही पर्यटन विभाग की योजनाएं संचालित हैं।

वर्तमान शासन काल में श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर,वाराणसी से सम्बन्धित व जनुपयोगी वेबसाइट की संरचना की गई है जिसमें श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के इतिहास व गौरव के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना है एवं दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु आनलाइन पंजिकरण व दर्शन हेतु समय निश्चित करने की सुविधा प्रदान की गई है । दान देने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से व्यवस्था भी उपलब्ध करा दी गई है ।

(अनिल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव